**<u>न्यायालयः: अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 22, एटा।</u>**

उपस्थितः: रवि कुमार, उ०प्र० न्यायिक सेवा (आई०डी०- U.P.2570)

**सी०एन०आर० नं०- UPET040071912020**

<u>दाण्डिक वाद संख्या- 243/2020</u>

सतेन्द्र सिंह -**बनाम-** शिव सिंह आदि

**थाना- नयागाँव, एटा**

**धारा- 313 भा०दं०सं०**

**अपराध सं०- 145/2014**

**<u>01-02-2021</u>**

पत्रावली आज पेश हुई। पुकार की गयी। परिवादी सतेन्द्र सिंह अनुपस्थित है। न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश के अनुसार परिवादी सतेन्द्र सिंह पर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें थाने से इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि सतेन्द्र सिंह पुत्र वैजनाथ सिंह, निवासी सिकन्दरपुर फेरू, थाना नयागाँव, जनपद एटा करीब चार वर्ष पूर्व कहीं चला गया है तथा उसकी जानकारी नहीं हो सकी है। तामील कर्ता द्वारा ग्राम प्रधान सर्वेन्द्र सिंह की रिपोर्ट भी लगायी गयी है, जिसमें कथन किया गया है कि सतेन्द्र सिंह गाँव छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चला गया है तथा वादी मुकदमा का पता लगाना सम्भव नहीं है।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण काफी प्राचीनतम वादों की श्रेणी का है तथा वादी मुकदमा द्वारा विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि विवेचक द्वारा की गयी विवेचना सही एवं निष्पक्ष प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत किये जाने योग्य है।

**<u>-आदेश-</u>**

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 18/2014 दिनांकित 28-08-2014 स्वीकार की जाती है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही बाद नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**(रवि कुमार)**

**दिनांक- 01-02-2021**

अपर सिविल जज(जू०डि)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-22, एटा।